FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी ... खण्डेला (सीकर)   उपखण्ड अधिकारी ... खण्डेला (सीकर)

...लय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

झाबरमल .... बनाम .... लौट्स होम्ज

...दमा ... प्रार्थना पत्र धारा 136 LR Act ... मुकदमा नं. ... 154 ... सन् 2019

...म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र कुमार मीणा एड. ने प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट सहित ली गयी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जावे। मिसल अग्रिम दिनांक 18.10.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	18.10.19 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रतिवादी सं० 1 की तामील उनके कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गयी है अतः सम्यक् मानी जाती है। बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादी सं० 1 अनुपस्थित रहे इनको बार-बार आवाजें दिलायी गयी बावजूद आवाजें प्रतिवादी सं० 1 अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील वादी ने कथन किया कि प्रतिवादी सं० 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है मामला कुछ तय का है अतः आज ही प्रकरण में बहस सुनी जाकर निर्णय फरमाया	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

गया। वकील प्रार्थी/प्रार्थी का विवेचन स्वीकार किया। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी के पिता ओंकारदास का नाम पूर्व ख०न० 1393 ता 1399 कुल रकबा 3.79 के हिस्सा $\frac{1}{4}$ में "ओमहरदास" गलत अंकित है जबकि प्रार्थी के पिता के नाम की पुरानी जमाबंदी, शैक्षणिक दस्तावेज, मृत्यु प्रमाण पत्रों में व अन्य दस्तावेजों में "ओंकारदास" सही अंकित है। गलत नाम होने से राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है अतः न्याय हित में उनवानुसार दुरुस्ती करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दुरुस्ती किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबंदी संवत 2074-2077 में ख०न० 1393 से 1399 रकबा 3.79 हिस्सा $\frac{1}{4}$ ग्राम गादवाड़ी में प्रार्थी के पिता का नाम "ओमहरदास" अंकित है जबकि जमाबंदी संवत 2026 से 2029 तक ग्राम गादवाड़ी में खसरा न० पुराना 786 में प्रार्थी के पिता का नाम ओंकारदास है मृत्यु प्रमाण पत्र विदामी देवी में पति का नाम ओंकारमल दर्ज है तथा पुत्र रामलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र में

प्र	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	भी पिता का नाम ओंकारदास अंकित है तथा स्वयम ओंकारदास के मृत्यु प्रमाण पत्र में सही नाम ओंकारदास है। उक्त सभी दस्तावेजात के अवलोकन से साबित होता है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम ओंकारदास है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि:-	
	आदेश	
	भूमि ख०न० 1393 ता 1399 कुल किता 7 कुल रकबा 3.79 है० वाके ग्राम जादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० के हिस्सा 1/4 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम "ओमहरदास" की जगह सही नाम "ओंकारदास" दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) (रणजीत सिंह) RAS.	